**विविध बैंक प्रकरण संख्या 05/2019 (RCMS 2019/00014) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–स्टेशन रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविद कुमार लढा मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–04 हनुमानगढ (राज.) बनाम 1. मैसर्स संदीप कुमार राधेश्याम भादू – प्रो श्री संदीप कुमार भादू पुत्र भूप सिंह भादू निवासी दुकान नं. 43, नई धानमी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. श्री भूप सिंह भादू पुत्र श्री जयमल सिंह भादू निवासी मकान नं. 2/6, आरएचबी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2019

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है उनके द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.2019 में दिये गये आदेशों की पालना में फार्म नं. 03 में अंकित **एक मूल हस्तलिखित प्रार्थना पत्र बिना किसी दिनांक की, जिस पर संदीप कुमार व भूप सिह के हस्ताक्षर है,** पेश की है जो शामिल की गई है। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता** श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स संदीप कुमार राधे श्याम भादू–प्रो. श्री संदीप कुमार भादू एवं श्री भूप सिंह भादू को ऋण सुविधा के रूप में 16.00 लाख रूपये (अखरे रूपये सोलह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 08.02.2013 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी भूप सिंह भादू की अचल सम्पत्ति मकान नं. 2/6 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60' वर्गफुट), आरएचबी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.10.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 07.11.2017 को 16,25,854/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 08.11.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स संदीप कुमार राधेश्याम भादू – प्रो. संदीप कुमार भादू एवं श्री भूप सिंह भादू द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान नं. 2/6 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60' वर्गफुट), आरएचबी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

**मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक** के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स संदीप कुमार राधेश्याम भादू – प्रो. श्री संदीप कुमार भादू एवं श्री भूप सिंह भादू को 16.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये सोलह लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 08.02.2013 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री भूप सिंह द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं. 2/6 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60' वर्गफुट), आरएचबी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है, प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 31.10.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 08.11.2017 जारी किया गया है। धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने ऋणियों द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाने की प्रार्थना की है।

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूंसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

**जहां तक ऋण की एवज** में बंधक रखी गयी अचल सम्पति मकान नं. 2/6 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60' वर्गफुट), आरएचबी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जो श्री भूप सिंह के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक धारा 13(2) के जारी** नोटिस 08.11.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 08.11.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स संदीप कुमार राधे श्याम भादू–प्रो. संदीप कुमार भादू एवं श्री भूप सिंह के नाम जारी किये गये है, जिनमें भूप सिंह के नोटिस धारा 13(2) पर स्वयं के हस्ताक्षर है। बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 एवं शपथ पत्र के पैरा संख्या 07 में बयान किया है कि अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) नोटिस के जवाब में कोई आक्षेप पेश नहीं किया है इसलिए उस पर कोई विचार नहीं किया है एवं पैरा संख्या 3 में अप्रार्थीगण संदीप कुमार एवं भूप सिंह को दिनांक 08.11.2017 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाना एवं दिनांक 04.01.2018 को स्वयं द्वारा नोटिस प्राप्त होने बताये है जबकि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाने एवं प्राप्ति की पोस्ट ऑफिस की रसीद/एडी पेश नहीं की है एवं धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण स्वयं पर होना अंकित किया है, जबकि नोटिस पर अप्रार्थी संख्या 2 भूप सिंह के स्वयं के हस्ताक्षर है एवं अप्रार्थी संख्या 01 संदीप भादू के जो हस्ताक्षर है वे प्रार्थना पत्र के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते है। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 18.11.2019

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को अप्रार्थीगण संदीप कुमार एवं भूप सिंह के हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की है जिसमें उन्होनें दिनांक 28.08.2019 को 2.00 लाख व शेष बकाया दिनांक 07.09.2019 तक जमा करवाने का निवेदन किया है, जिस पर कोई दिनांक अंकित नही है, जिससे स्पष्ट है कि यह प्रार्थना पत्र बाद में तैयार किया गया है चूंकि बैंक ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसके पैरा संख्या 04 एवं शपथ पत्र के पैरा 7 में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने कोई जवाब पेश नहीं किया है, अगर यह प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया होता तो इस पर विचार करना आवश्यक था, जो किया गया प्रतीत नहीं होता है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र बिना दिनांक का बाद में प्रस्तुत करवाया गया है। धारा 13(2) के नोटिस में तामील वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तक प्रार्थी पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है जबकि ऋणियों पर** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 13(2) के नोटिस की तामील होनी आवश्यक थी और बैंक द्वारा बाद में प्रस्तुत किये गये बिना तारीख के प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार बाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विश्वसनीय नहीं है। फलस्वरूप अप्रार्थी संदीप कुमार पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना नहीं पाई जाती है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

**अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक** का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे।

**यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर